

संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास, 1, शिवाजी नगर, भोपाल

क्रमांक:एफ 17/सं.नि./2024/२४३८

भोपाल, दिनांक २४/११/२०२४

वरिष्ठ परामर्शी परामर्शी, कनिष्ठ परामर्शी/विशेषज्ञों एवं चिकित्सा अधिकारी की संविदा नियुक्ति

अंतिम तिथि 20/12/2024

मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत संचालित गैस राहत चिकित्सा इकाईयों में वरिष्ठ परामर्शी, परामर्शी, कनिष्ठ परामर्शी/विशेषज्ञों एवं चिकित्सा अधिकारी की संविदा नियुक्ति पर नियुक्ति की जाने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

उक्त आवेदन पत्र संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, हमीदिया अस्पताल परिसर भोपाल से विज्ञाप्ति प्रकाशन की दिनांक से दिनांक 20/12/2024 (दिन शुक्रवार) तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रु. 500/- (रु. पाँच सौ मात्र) तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रु. 250/- (रु. दो सौ पचास मात्र) का संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल के नाम का बैंक ड्राफ्ट देकर आवेदन प्राप्त एवं अपना आवेदन पत्र प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियों के साथ समक्ष में या पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 20/12/2024 (दिन शुक्रवार) सायं 5:00 बजे तक जमा कर सकते हैं।

यह विज्ञापन विभागीय वेबसाईट www.bgtrrd.mp.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

(1) रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैं (जिनमें कमी या वृद्धि हो सकती है) :-

क्र.	संविदा पद	समेकित पुनरीक्षित पारित्रयीक	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	अनुभव	विषयवार रिक्त पदों की संख्या
1.	वरिष्ठ परामर्शी (चिकित्सा महाविद्यालय के प्राध्यापक के समकक्ष)	रु 2,16,768/-	<u>अर्हता:-</u> भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची या अनुसूची तीन के भाग-2 में सम्मिलित कोई चिकित्सा अर्हता (अनुसूची-तीन के भाग-2 में सम्मिलित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों को अधिनियम की घारा 13 (3) में विनिर्दिष्ट की गई शर्त भी पूरी करने होगी)। संबंधित डिसिप्लीन / विषय में कोई स्नातकोत्तर अर्हता, अर्थात् एम.डी./एम.एस. या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता और / या सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु एम.सी.एच. तथा मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु /डी.एम.या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता।	<u>अनुभव :-</u> एम.डी./एम.एस. की अर्हकारी उपाधि अभिप्राप्त करने के पश्चात संबंधित सुपर स्पेशलिटी के सुस्थापित विभाग में 2 वर्षों के विशेषज्ञ प्रशिक्षण के साथ सुपर स्पेशलिटी के विषय में मान्यता प्राप्त संस्था में न्यूनतम 14 वर्षों का अनुभव।	मेडिसिन - 01 पीडियाट्रिक्स - 01 कार्डियोथेरेसिक सर्जन - 01 कुल पद - 03
2	परामर्शी (चिकित्सा महाविद्यालय के सह प्राध्यापक के समकक्ष)	रु 1,99,002/-	<u>अर्हता:-</u> भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची या अनुसूची तीन के भाग-2 में सम्मिलित कोई चिकित्सा अर्हता (अनुसूची-तीन के भाग-2 में सम्मिलित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों को अधिनियम की घारा 13 (3) में विनिर्दिष्ट की गई शर्त भी पूरी करने होगी)। संबंधित डिसिप्लीन / विषय में कोई स्नातकोत्तर अर्हता, अर्थात् एम.डी./एम.एस. या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता। और / या सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु एम.सी.एच./डी.एम. या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु एम.सी.एच. तथा मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु /डी.एम. या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता।	<u>अनुभव :-</u> एम.डी./एम.एस. की अर्हकारी उपाधि अभिप्राप्त करने के पश्चात संबंधित सुपर स्पेशलिटी के सुस्थापित विभाग में 2 वर्षों के विशेषज्ञ प्रशिक्षण के साथ सुपर स्पेशलिटी के विषय में मान्यता प्राप्त संस्था में न्यूनतम 08 वर्षों का कार्यानुभव। और / या एम.सी.एच./डी.एम. या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता अभिप्राप्त करने के पश्चात मान्यता प्राप्त संस्था में न्यूनतम 06 वर्षों का अनुभव।	गेट्रोएन्ट्रोलॉजी - 01 सर्जीकल गेस्टो एन्ट्रोलॉजी - 01 रेडियोलॉजी - 01 नेफोलॉजी - 01 न्यूलॉजी - 01 आई.टी.टू. - 01 मानसिक रोग - 01 सिशुरोग - 01 कुल पद - 08

3.	कनिष्ठ परामर्शी / विशेषज्ञ (चिकित्सा महाविद्यालय के सहायक प्राच्यापक के समकक्ष)	रु 1,25,000/-	<u>अर्हता:-</u> भारतीय आचुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 की प्रथम अंचवा द्वितीय अनुसूची या अनुसूची तीन के भाग-2 में सम्मिलित कोई चिकित्सा अर्हता (अनुसूची-तीन के भाग-2 में सम्मिलित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों को अधिनियम की घारा 13 (3) में विनिर्दिष्ट की गई शर्त भी पूरी करने होगी) संबंधित डिसिप्लीन विषय में कोई स्नातकोत्तर अर्हता, अर्थात् एम.डी./एम.एस या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता।	<u>अनुभव :-</u> एम.डी./एम.एस की अर्हकारीउपाधि अभिप्राप्त करने के पश्चात् संबंधित सुपर स्पेशलिटी के सुस्थापित विभाग में 2 वर्षों के विशेषज्ञ प्रशिक्षण के साथ सुपर स्पेशलिटी के विषय में मान्यता प्राप्त संस्था में न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव।	गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी - 01 (1 अनारक्षित) सर्जीकल गेस्टो - 01 एन्ट्रोलॉजी (1 अनारक्षित) माइक्रोबायलॉजी - 01 कार्डियोपल्मो - 01 फिजियोलॉजिस्ट, डायलिसिस यूनिट - 01 आधाल मोलॉजी - 02 (1 अनारक्षित, 1 अ.पि.वर्ग.) चूपोलॉजी - 01 आई.सी.यू. - 03 (1 अनारक्षित, 1 अ.पि.वर्ग., 1 अनु.जन जटि) मेडिसिन - 03 (1 अ.पि.वर्ग., 1 अनु.जन जटि, 1 अनु.जाति) सर्जीकल विशेषज्ञ - 02 (1 अनारक्षित, 1 अ.पि.वर्ग.) पैथालॉजी - 04 (1 अनारक्षित, 1 अ.पि.वर्ग., 1 अनु.जन ज., 1 अनु.जाति) रेडियोलॉजिस्ट - 05 (2 अनारक्षित, 1 अ.पि.वर्ग., 1 अनु.जन ज., 1 अनु.जाति) शिशुरोग विशेषज्ञ - 03 (1 अनारक्षित, 1 अ.पि.वर्ग., 1 अनु.जन जटि) निश्चेतना विशेषज्ञ - 01 मानसिक रोग - 01 ब्लड बैंक आफिसर - 01 कुल पद - 31
4.	चिकित्सा अधिकारी	रु. 88,506/-	भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस की उपाधि।	मध्यप्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीयन।	अनु.जाति-03 (1 अनारक्षित, 2 महिला), अनु.जनजाति-25 (18 अनारक्षित, 7 महिला), अ.पि.वर्ग-6 (6 महिला)

(2) आयुः- संविदा नियुक्ति के लिए उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को जिसमें नियुक्ति की जाना है, न्यूनतम और अधिकतम आयु-सीमा 21 वर्ष और 65 वर्ष होगी।

(3) सेवा निवृत्त शासकीय सेवक की नियुक्ति-सेवा निवृत्त चिकित्सक यदि आयु तथा अन्य अर्हता रखते हैं तो वे भी संविदा नियुक्ति के लिए हकदार होंगे।

(4) निरहता-कोई भी अभ्यर्थी संविदात्मक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि उसकी दो से अधिक संतानें हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ था।

(5) संविदा नियुक्ति की कालावधि एवं पदस्थापना- संविदा चिकित्सक की संविदा की कालावधि नियुक्ति दिनांक से अधिकतम दो वर्ष होगी।

(6) वरिष्ठ परामर्शी, परामर्शी एवं कनिष्ठ परामर्शी/विशेषज्ञ के चयन हेतु मेरिट तैयार करने के मापदंडः- (1) एम.बी.बी.एस.उपाधि के 20 अंक, (2) स्नातकोत्तर के लिए 10 अंक, (प्रत्येक प्रयत्न हेतु ऋणात्मक 2 अंक), (3) सुपर स्पेशलिटी 10 अंक में पोस्ट पी.जी. (प्रत्येक प्रयत्न हेतु ऋणात्मक 2 अंक), (4) प्रकाशन हेतु 15 अंक मेडिकल काउन्सिल ऑफ 10 अंक इंडिया के मानदंडों द्वारा अपेक्षित प्रकाशनों की न्यूनतम संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक प्रकाशन के लिए 2 अंक/ प्रकाशन आई.एन.डी.ई.एक्स., एम.ई.डी.सी.यू.एस./नेशनल जनरल में अनुकरणित होना चाहिए, (5) अनुभव हेतु 15 अंक (उक्त आई.एन.डी.ई.एक्स., एम.ई.डी.सी.यू.एस./नेशनल जनरल में अनुकरणित होना चाहिए) (6) साक्षात्कार हेतु 30 अंक पद के लिए विहित अनुभव के अतिरिक्त प्रत्यके वर्ष के अनुभव हेतु 2 अंक) (6) साक्षात्कार हेतु 30 अंक।

निरंतर...3

(7) चिकित्सा अधिकारी के चयन हेतु मेरिट तैयार करने के मापदंडः— (1) स्नातक उपाधि (प्राप्त अंको के अनुपात में) 65 अंक, (2) स्नातकोत्तर के लिए 10 अंक, (प्रत्येक प्रयत्न हेतु ऋणात्मक 2 अंक), (3) एन.सी.सी.का “सी” का प्रमाण—पत्र अथवा एन.एस.एस. का प्रमाण—पत्र 05 अंक (4) पुरुष खिलाड़ी/महिला खिलाड़ी जिसने विश्वविद्यालय या राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो 05 अंक, (5) किसी चिकित्सा संस्था में चिकित्सक के रूप में अनुभव (अधिकतम 05 अंक के अध्याधीन रहते हुए प्रत्येक वर्ष के लिये 01 अंक) 05 अंक (6) साक्षात्कार हेतु 10 अंक ।

पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की सूचना उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए पत्र व्यवहार के पते पर दी जाएगी तथा साक्षात्कार पश्चात् उपरोक्त मापदण्ड अनुसार प्राप्तांकों की अंतरिम मेरिट सूची का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट WWW.bgrd.mp.gov.in पर किया जाकर निर्धारित समय सीमा में दावा/आपत्तियों प्राप्त की जाकर दावा/आपत्तियों के निराकरण पश्चात् अंतिम मेरिट सूची, चयनित सूची, व प्रतिक्षा सूची उक्त विभागीय वेबसाइट पर जारी की जाएगी। जिसकी जानकारी के लिए अभ्यर्थी नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

नियुक्ति की अन्य शर्तें नियमानुसार रहेगी:-

1. चयनित अभ्यर्थी, नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी के साथ रुपए 500/- (रुपए पाँच सौ मात्र) के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प करार निष्पादित करेगा। करार के निष्पादन पर होने वाले व्यय, चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थी उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से संविदा सेवा में माना जाएगा।

2. चयनित अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह नियुक्ति आदेश जारी होने के भीतर संविदा नियुक्ति के स्थान पर 15 दिवस में अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त काल अवधि में कार्यभार न ग्रहण करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द हो जाएगी।

3. वरिष्ठ परामर्शी, परामर्शी, कनिष्ठ परामर्शी/विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारी का चरित्र सत्यापन, शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जाएगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण तुरन्त रद्द कर दी जाएगी।

4. वरिष्ठ परामर्शी, परामर्शी, कनिष्ठ परामर्शी/विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा संविदा राशि प्राप्त करने के पूर्व संविदा अधिकारी स्वयं अपने खर्च पर जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाने वाला चिकित्सीय परीक्षण करवाएगा। इस चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाए जाने पर ही संविदा नियुक्ति वैध होगी। सेवा निवृत्त शासकीय सेवक को भी, यदि वे उक्त पद पर नियुक्त किए जाएं, ऐसा चिकित्सीय परीक्षण करवाना आवश्यक होगा।

5. वरिष्ठ परामर्शी, परामर्शी, कनिष्ठ परामर्शी/विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारी के पद हेतु साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का सत्यापन आवेदन में संलग्न दस्तावेजों के साथ किया जाएगा। सत्यापन के समय यदि कोई भी दस्तावेज पूर्ण/सही नहीं पाया जाता है तो उसका साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

6. नियुक्ति पश्चात् किसी भी समय यदि कोई भी अभिलेख असत्य या छिपाए हुए पाए जाते हैं तो संबंधित की संविदा नियुक्ति तत्काल समाप्त की जाएगी व संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

7. वरिष्ठ परामर्शी, परामर्शी, कनिष्ठ परामर्शी/विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारी शासकीय सेवा में नियमितिकरण के लिए हकदार नहीं होंगे और न ही भविष्य में इस नियुक्ति के आधार पर किसी प्रकार के नियमितिकरण का दावा कर सकेंगे।

8. संविदा नियुक्ति, किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय पर एक माह का सूचना या एक माह की संविदा राशि का भुगतान करके संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

9. वरिष्ठ परामर्शी, परामर्शी, कनिष्ठ परामर्शी/विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारी बिना किसी विशिष्ट कारण के बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त हुई मानी जाएगी।

10. वरिष्ठ परामर्शी, परामर्शी, कनिष्ठ परामर्शी/विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारी एक कैलेन्डर वर्ष में अधिकतम 15 दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। वह एक समय में अधिकतम 3 दिनों के आकस्मिक अवकाश का उपभोग कर सकेगा/सकेगी। महिला संविदा कर्मचारी, जिसकी दो से कम जीवित संतान हों अधिकतम 180 दिनों की कालावधि के लिए प्रसूति अवकाश की हकदार होगी। उपरोक्त अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियाँ संबंधित इकाई प्रमुख में निहित होगी।
11. वरिष्ठ परामर्शी, परामर्शी, कनिष्ठ परामर्शी/विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारी संविदात्मक कालावधि के लिए किन्हीं पेन्शन संबंधी प्रसुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि भी देय नहीं होगा।
12. अन्य सेवा संबंधी शर्त ऐसी होगी, जैसी नियुक्ति आदेश में विर्तिदिष्ट की जाएँ।
13. इसके अतिरिक्त शासन/संचालनालय, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास द्वारा आवश्यक सेवा शर्तों का समावेश नियुक्ति के समय किया जा सकता है।
14. संविदा चिकित्सक को चिकित्सालय की आवश्यकता अनुसार एवं निर्धारित टाइम टेबिल अनुसार डयूटी एवं कॉल डयूटी चिकित्सालय में देनी होगी। अवकाश दिवस में डयूटी एवं रात्रिकालीन डयूटी का आफ संचालनालय, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नियमानुसार दिया जावेगा।
15. वरिष्ठ परामर्शी, परामर्शी, कनिष्ठ परामर्शी/विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारी भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित संविदा नियम-2003 में निहित व समय समय पर शासन द्वारा संशोधित किए गए अन्य प्रावधानों के भी अधीन होगा।

bajaj

(डॉ. राकेश बजाज)

3 सहायक संचालक
गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल